आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा

सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 419/इंदौर/2019

निर्धारण वर्ष : 2015-16

सोनाली गर्ग बुरहानपुर	बनाम	आयकर अधिकारी बुरहानपुर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- बीडीएपीजी 8805 आर		
अपीलार्थी की ओर से :		श्री पंकज शाह, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :		श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :		18.08.2021
उद्घघोषणा तिथि :		28.09.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 25.01.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. निर्धारिती द्वारा इस अपील में लिए गए आधारों का सार निम्न रूप से है -

> " विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा विधि के अनुसार निर्धारण अधिकारी की सूचीबद्ध शेयरों के विक्रय पर दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति लेखे रु. 17,10,620/- के दावे को अस्वीकृत करने की कार्रवाई पुष्टि करने में भूल की है । अपीलार्थी अनुरोध करती है कि कथित अस्वीकृति को हटाने का निदेश दिया जाए । "

3 सुनवाई के आरंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त मुद्दा इंदौर न्यायपीठ द्वारा समान तथ्यों पर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए श्रीमती नीलम मित्तल तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं. 434/इंदौर/2019 तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2021 के द्वारा निर्धारिती के पक्ष आवृत्त है । अतः उक्त परिवर्धन हटाये जाने योग्य है । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु वह अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के दावे का खंडन नही कर पाये ।

4. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अध्ययन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में अंतर्ग्रस्त मुद्दा केपेक (Kappac) फार्मा लिमिटेड के शेयरों के विक्रय के संबंध में है । केपेक (Kappac) फार्मा लिमिटेड के शेयरों के मुद्दे पर इस न्यायपीठ द्वारा निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए श्रीमती नीलम मित्तल तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं. 434/इंदौर/2019 तथा अन्य में पारित

सविस्तृत आदेश दिनांक 25.05.2021 के द्वारा यह अभिधारित किया गया था कि केपेक (Kappac) फार्मा लिमिटेड. न तो पैनी स्टॉक न ही कागजी कंपनी है तथा उक्त कंपनी के शेयरों लेखे किए गए परिवर्धन को हटाया गया था । चूंकि वर्तमान निर्धारिती की अपील में भी समान मुद्दा अंतर्ग्रस्त है, अतः हमारे विचारपूर्ण अभिमत में विवादाधीन मुद्दा हमारे उपरोक्त आदेश दिनांक 25.05.2021 द्वारा पूर्णतः आवृत्त है । तद्नुसार निर्धारण अधिकारी को दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति लेखे रु. 17,10,620/- के परिवर्धन हटाने का निदेश देते है तथा अपील के इस आधार को स्वीकृत करते है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 28.09.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 28.09.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल